भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-2511
बुधवार, 17 मार्च, 2021/26 फाल्गुन, 1942 (शक)

रोजगार सृजन

2511. श्री तिरुची शिवाः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मंत्रालय का वर्ष 2020-21 में रोजगार के लिए कोई संख्यात्मक लक्ष्य है;
(ख) यदि हां, तो नियोजन और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालय किन-किन विभिन्न कार्य पद्धतियों को अपनाएगा; और
(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (ग): नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है।सरकार आत्मनिर्भर वित्तीय पैकेज के रूप में सत्ताईस लाख करोड़ रुपए से अधिक का राजकोषीय प्रोत्साहन प्रदान कर रही है। आत्मनिर्भर भारत पैकेज में देश को आत्मनिर्भर बनाने तथा रोजगार अवसर सृजित करने के लिए विभिन्न दीर्घकालिक योजनाएं/कार्यक्रम/नीतियां शामिल हैं।

देश में रोजगार सृजन को प्रोत्साहन देने के लिए श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार ने अनेकों पहलें की हैं। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) सामाजिक सुरक्षा लाभों के साथ-साथ नए रोजगार के सृजन को प्रोत्साहित करने तथा कोविड-19 महामारी के दौरान रोजगार की हानि के प्रतिस्थापन हेतु प्रारंभ की गई है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) द्वारा कार्यान्वित की जा रही यह योजना विभिन्न क्षेत्रों/उद्योगों के नियोक्ताओं पर वित्तीय दबाव कम करती है एवं उन्हें और अधिक कर्मचारियों को कार्य पर रखने के लिए प्रोत्साहित करती है। एबीआरवाई के तहत, भारत सरकार ईपीएफओ से पंजीकृत प्रतिष्ठानों की कर्मचारी संख्या के आधार पर, कर्मचारियों के अंशदान (वेतन का 12%) तथा नियोक्ता के देय अंशदान (वेतन का 12%)-दोनों का अथवा केवल कर्मचारियों का अंशदान वहन कर रही है। 9 मार्च, 2021 को लाभ लेने हेतु 16.49 लाख कर्मचारी पंजीकृत हुए थे।

प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) के तहत, भारत सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) के तहत नियोक्ताओं के 12% अंशदान और कर्मचारियों के 12% अंशदान-दोनों का योगदान किया है, जिनके तहत 100 कर्मचारियों तक रखने वाले प्रतिष्ठानों के 90% ऐसे कर्मचारियों जो 15000/- रुपए से कम अर्जित करते हैं, के लिए मार्च से अगस्त, 2020 माह के वेतन माह हेतु कुल 24% का अंशदान किया है। पीएमजीकेवाई योजना के तहत, 38.82 लाख पात्र कर्मचारियों के ईपीएफ खातों में 2567.66 करोड़ रु. डाले गए थे।

प्रधान मंत्री स्व-निधि योजना के तहत भारत सरकार ने रेहड़ी-पटरी वालों को फिर से अपना व्यापार शुरू करने के लिए एक वर्ष की अवधि के लिए 10,000/- रु. तक का गैर-जमानती कार्यकारी पूंजीगत ऋण प्रदान करने को सरल बनाया है।

इसके अतिरिक्त, आरबीआई एवं भारत सरकार ने बाजार अर्थव्यवस्था को बनाए रखने एवं रोजगार के स्तर को बढ़ाने के लिए अर्थव्यवस्था में तरलता बढ़ाने के लिए उपायों की शुरूआत की है।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने देश में रोजगार का सृजन करने के लिए पर्याप्त निवेश वाली विभिन्न परियोजनाओं को प्रोत्साहन देने और प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) तथा दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) जो कि क्रमशः सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय तथा आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा संचालित की जा रही हैं, जैसी योजनाओं पर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करने जैसे विभिन्न कदम उठाए हैं।

सरकार द्वारा स्व-रोजगार को सुकर बनाने के लिए, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) कार्यान्वित की जा रही है। पीएमएमवाई के अंतर्गत सूक्ष्म/लघु व्यापरिक उद्यमों तथा व्यक्तियों को अपने व्यापारिक कार्यकलापों को स्थापित करने अथवा विस्तार करने में समर्थ बनाने के लिए 10 लाख रुपए तक का गैर-जमानती ऋण प्रदान किया जाता है।

प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) की फ्लैगशिप योजना है। इस कौशल प्रमाणीकरण योजना का उद्देश्य बड़ी संख्या में भारतीय युवाओं को उद्योग-संगत कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करवाना है, जो बेहतर आजीविका प्राप्त करने और उनकी रोजगार तथा स्व-रोजगार की आवश्यकता को पूर्ण करने में सहायता करेगी।

इन पहलों के अतिरिक्त, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत मिशन, स्मार्ट सिटी मिशन, जीर्णोद्धार एवं शहरी रूपांतरण हेतु अटल मिशन, सभी के लिए आवास, अवसंरचना विकास तथा औद्योगिक गलियारे जैसे सरकार के फ्लैगशीप कार्यक्रमों में उत्पादक रोजगार के अवसर सृजित करने की संभावना है।

सरकार ने राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) परियोजना को कार्यान्वित किया है जिसमें एक ऐसा डिजिटल पोर्टल शामिल है जो गतिशील, दक्ष एवं सकारात्मक ढंग से योग्यता अनुरूप रोजगार हेतु रोजगार चाहने वालों एवं नियोक्ताओं के लिए एक राष्ट्र-व्यापी ऑनलाइन मंच प्रदान करता है।

*****